संख्या : 4913 / जी0एस0(शिक्षा) / A11-131(4) / 2023

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड                देहरादून दिनांक 04 अगस्त, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 240116084749, दिनांक 13.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी रूड़की, हरिद्वार को कतिपय पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

| क्रमांक | महाविद्यालय / संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | सीट | अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी रूड़की, हरिद्वार। | एम0ए0 (अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) | 20 सीट प्रति विषय | 2021–22 से 2024–25 |
| | | एम0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) | 15 सीट प्रति विषय | |
| | | एम0कॉम0 | 25 सीट | 2023–24 एवं 2024–25 |
| | | एम0एससी0–आई0टी0 | 25 सीट | |
| | | एम0ए0–योगा | 25 सीट | |
| | | एम0एससी0–माइक्रोबायोलॉजी | 25 सीट | |



File No. RB-EDUC02/193/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 520)

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए अनिवार्य रूप से प्राभूति राशि एवं फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो शैक्षिक सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा उक्त संस्थान का बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एससी0–आई0टी0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 से 2024–25 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया है, परन्तु इन पाठ्यक्रमों की पूर्व की सम्बद्धता संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों की पूर्व की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्यों सहित स्थिति पृथक से स्पष्ट करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 04-08-2026
15:03:09

( रीना जोशी )
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 4913 /जी0एस0(शिक्षा)/A11-131(4)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 04-08-2026
15:29:05

( लक्ष्मण राम आर्य )
कुलाधिपति के उपसचिव।